Under CSR Support by ipca | Foundation

missiongyan LET'S LEARN TOGETHER

ई-पाठशाला कार्यक्रम

Class 11th POLITY

कार्यपालिका (Executive)

RAPID REVISION



Under CSR Support by ipca | Foundation

missiongyan LET'S LEARN TOGETHER

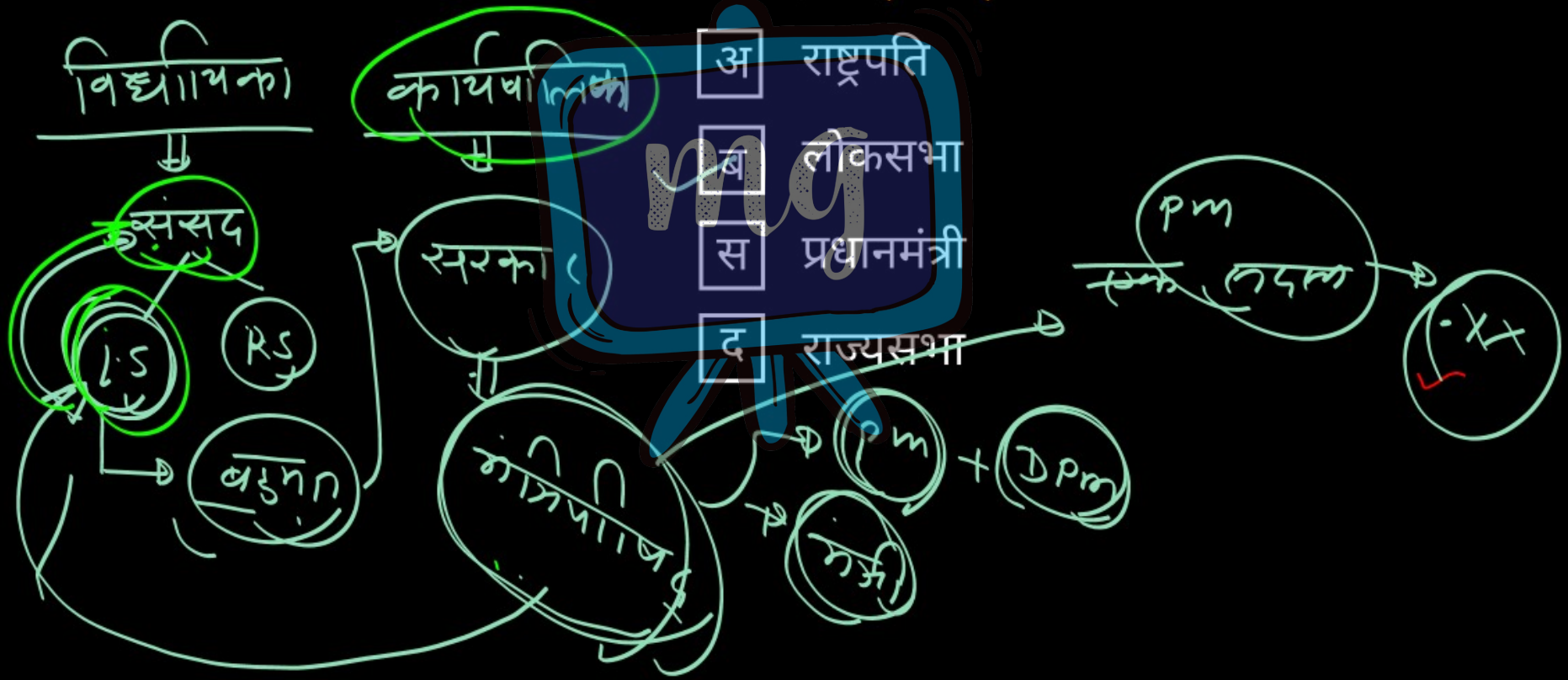
1. सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद् किसके प्रति उत्तरदायी होती है?

अ राष्ट्रपति

ब लोकसभा

स प्रधानमंत्री

द राज्यसभा



Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER

2. संसद द्वारा कार्यपालिका को उत्तरदायी बनाने का सबसे सशक्त माध्यम है—

अ शून्यकाल

ब अविश्वास प्रस्ताव

स दल-बदल

द विधेयक

Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER

3. दल-बदल क़ानून किस संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया है?



अ 51वाँ संशोधन

ब 42वाँ संशोधन

स 44वाँ संशोधन

द 52वाँ संशोधन

Under CSR Support by ipca | Foundation

missiongyan LET'S LEARN TOGETHER

4. राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों का चुनाव किस विधि से होता है?

अ प्रत्यक्ष निर्वाचन

ब अप्रत्यक्ष निर्वाचन

स केवल मनोनयन

द जनता द्वारा प्रत्यक्ष मतदान

Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER

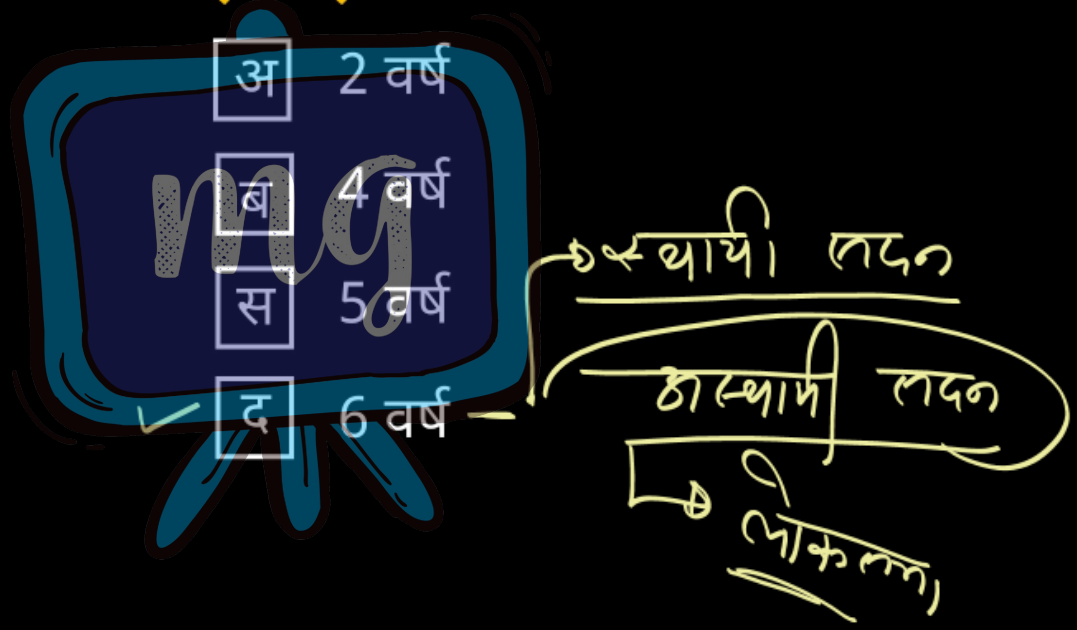
5. राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है?

अ 2 वर्ष

ब 4 वर्ष

स 5 वर्ष

द 6 वर्ष



Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER

6. लोकसभा के सदस्यों का सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष होता है?



अ 2 वर्ष

ब 3 वर्ष

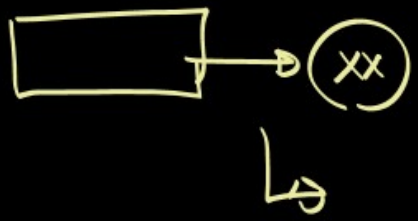
स 5 वर्ष

द 6 वर्ष

Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER

7. प्रत्येक दो वर्ष बाद राज्यसभा के कितने सदस्य अपना कार्यकाल पूरा करते हैं?



- अ एक-तिहाई
- ब आधे
- स दो-तिहाई
- द सभी





Under CSR Support by ipca | Foundation

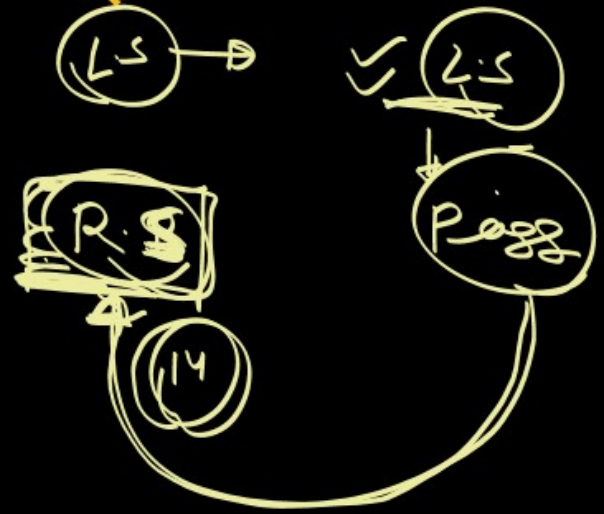
missiongyan LET'S LEARN TOGETHER

विधेयक

- वित्त विधेयक
- धन विधेयक
- साधारण विधेयक
- संवैधानिक विधेयक

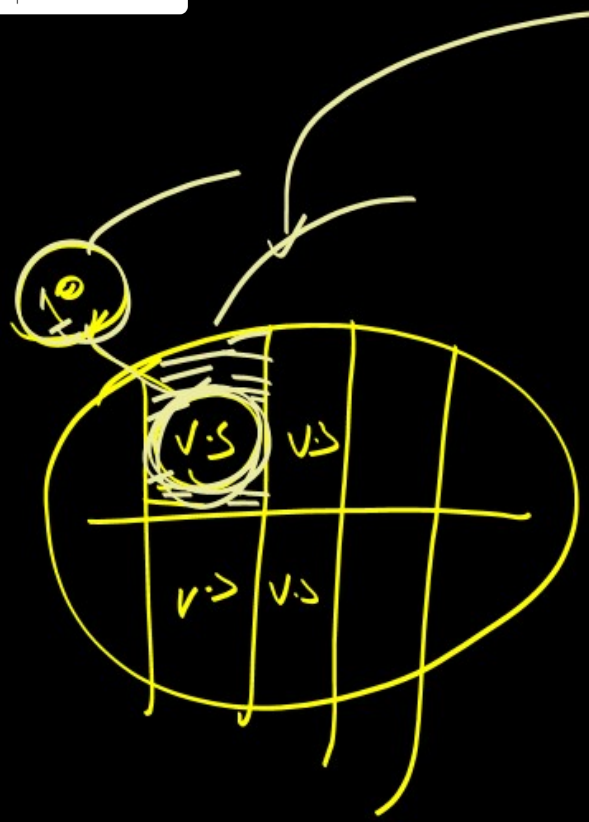
8. राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है

अ	7 दिन
ब	10 दिन
स	14 दिन
द	30 दिन



Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER



9. राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है?

अ केवल मंत्रिपरिषद् का

ब राज्यों का

स केवल न्यायपालिका का

द केवल लोकसभा का

Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan®
LET'S LEARN TOGETHER

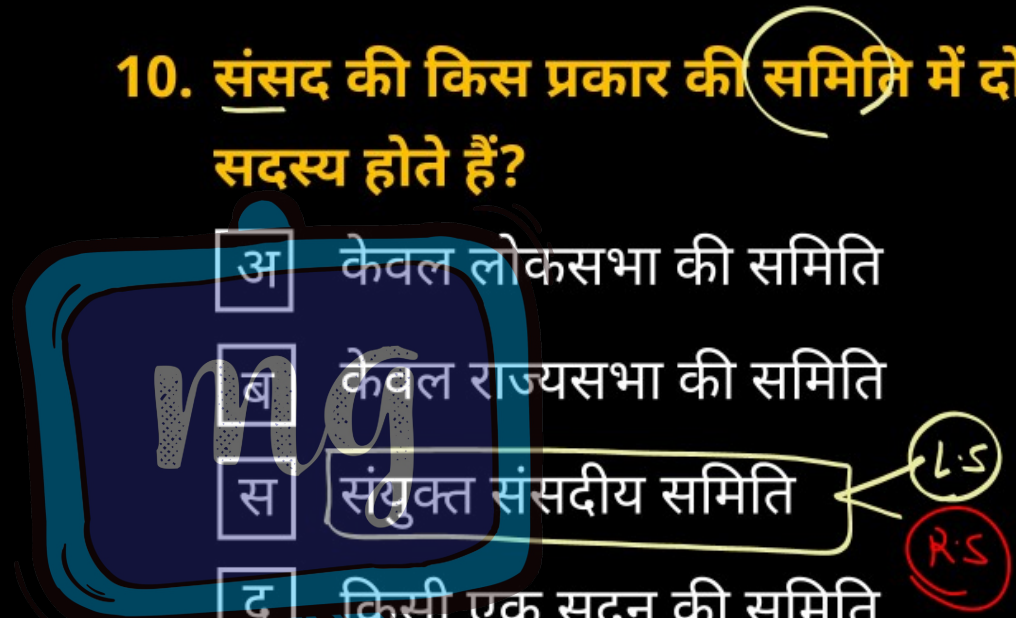
10. संसद की किस प्रकार की समिति में दोनों सदनों के सदस्य होते हैं?

अ केवल लोकसभा की समिति

ब केवल राज्यसभा की समिति

स संयुक्त संसदीय समिति

द किसी एक सदन की समिति



Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan®
LET'S LEARN TOGETHER

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए

11. हमारी राष्ट्रीय विधायिका का नाम _____ है।



संसद

Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan®
LET'S LEARN TOGETHER

12. राज्यसभा संसद का _____ सदन है।



स्थाई सदन

→ निर्वाचन द्वारा

2 वर्ष में → 1/3 सदस्य

कार्यकाल (6 वर्ष)

पुराने आते

Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER

13. लोकसभा के सदस्यों का चुनाव निर्वाचन द्वारा होता है।



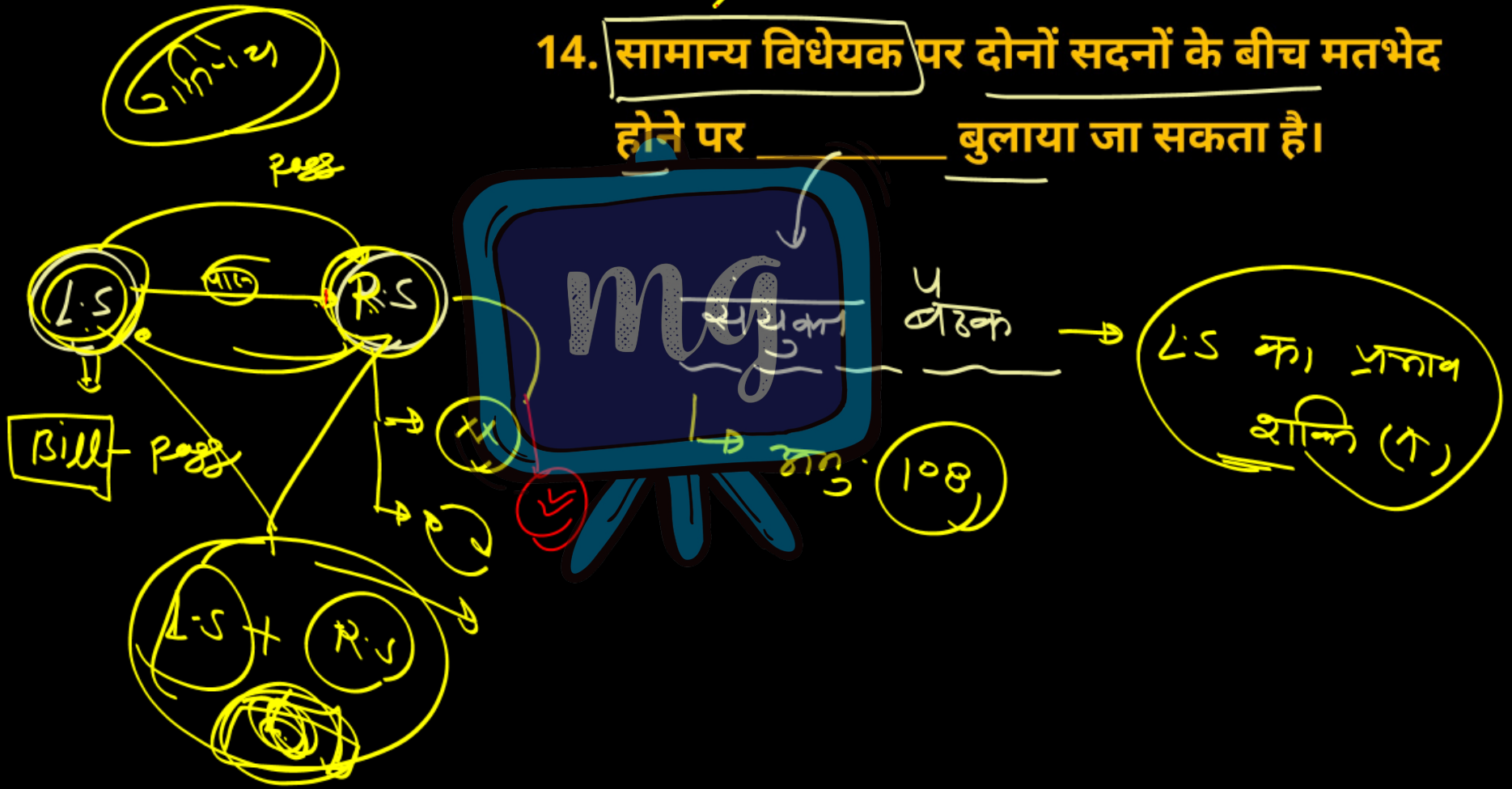
Ans.
↳ प्रत्यक्ष निर्वाचन

फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम

Under CSR Support by ipca | Foundation

missiongyan LET'S LEARN TOGETHER

14. सामान्य विधेयक पर दोनों सदनों के बीच मतभेद होने पर _____ बुलाया जा सकता है।

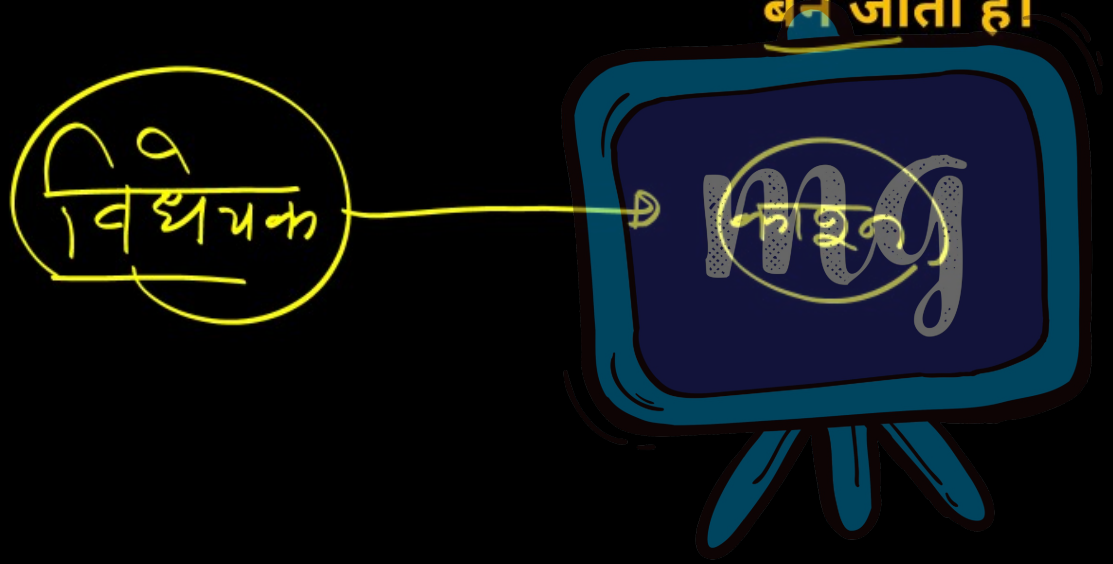


Under CSR Support by
ipca | Foundation

mg missiongyan®
LET'S LEARN TOGETHER

15. राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद विधेयक ——— बन जाता है!

कानून



Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER

अतिलघूत्तरात्मक प्रश्न

16. धन विधेयक संसद के किस सदन में पहले प्रस्तुत किया जाता है?



उत्तर: धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है।

Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER

17 राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है?



उत्तर: राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं।

Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan®
LET'S LEARN TOGETHER

18. विधेयक किसे कहते हैं?



उत्तर: किसी प्रस्तावित कानून के प्रारूप को विधेयक कहते हैं।

Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan®
LET'S LEARN TOGETHER

19. संसद में प्रश्नकाल से क्या अभिप्राय है?



Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan®
LET'S LEARN TOGETHER

20. संसद में शून्यकाल के दौरान सदस्य क्या कर सकते हैं?



Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER

लघूत्तरात्मक प्रश्न

21. दल-बदल किसे कहते हैं?

उत्तर —

1. स्वेच्छा से त्यागपत्र: किसी निर्वाचित सदस्य द्वारा स्वेच्छा से अपने राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ना दल-बदल कहलाता है।

2. दलीय निर्देश का उल्लंघन: दल के निर्देश के विपरीत सदन में मतदान करना दल-बदल के अंतर्गत आता है।

Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan®
LET'S LEARN TOGETHER

3. अनुपस्थिति: दल के नेतृत्व के आदेश के बावजूद सदन में उपस्थित न होना भी दल-बदल की स्थिति पैदा कर सकता है।

4. दल-बदल निरोधक कानून: दल-बदल रोकने के लिए 1985 में 52वाँ संविधान संशोधन किया गया।

5. परिणाम: दल-बदल सिद्ध होने पर संबंधित सदस्य की सदन की सदस्यता समाप्त हो सकती है।

Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER

22. संसद कार्यपालिका को किन-किन माध्यम से नियंत्रित करती है?

उत्तर —

1. प्रश्नकाल: संसद सदस्य मंत्रियों से प्रश्न पूछकर सरकार को उत्तरदायी बनाते हैं।

2. वाद-विवाद एवं शून्यकाल: संसद में नीतियों की आलोचना और जनसमस्याओं पर चर्चा होती है।

Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan®
LET'S LEARN TOGETHER

3. विधायी नियंत्रण: संसद विधेयकों को स्वीकार या अस्वीकार करके कार्यपालिका को नियंत्रित करती है।

4. वित्तीय नियंत्रण: बजट एवं सरकारी व्यय की स्वीकृति तथा जाँच के माध्यम से नियंत्रण रखा जाता है।

5. अविश्वास प्रस्ताव: लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव द्वारा सरकार से अपना विश्वास वापस ले सकती है।

Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER

23. संसदीय समितियों को लघु विधायिका क्यों कहते हैं?

उत्तर —

1. विस्तृत अध्ययन: संसदीय समितियाँ विधेयकों का गहन अध्ययन और विचार-विमर्श करती हैं।

2. विभिन्न दलों का प्रतिनिधित्व: समितियों में विभिन्न संसदीय दलों के सदस्यों को प्रतिनिधित्व मिलता है।

3. सिफारिशें: समितियाँ विधेयकों से संबंधित सुझाव और संशोधन की सिफारिशें करती हैं।

Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER

4. संसदीय कार्य: समितियाँ संसद की तरह विधायी कामकाज में योगदान देती हैं, इसलिए इन्हें लघु विधायिका कहा जाता है।

5. कार्यभार में कमी: समितियाँ संसद का कार्यभार कम करके कानून निर्माण को अधिक प्रभावी बनाने में सहायता करती हैं।

Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER

दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न

24. भारतीय संसद के प्रमुख कार्यों एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए।

उत्तर —

भूमिका: भारतीय संसद देश की राष्ट्रीय विधायिका है। यह कानून निर्माण के साथ-साथ कार्यपालिका को उत्तरदायी बनाने और जनता के हितों का प्रतिनिधित्व करने का कार्य करती है।

संसद के प्रमुख कार्य एवं शक्तियाँ

Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan®
LET'S LEARN TOGETHER

1. विधायी कार्य: संसद पूरे देश अथवा देश के किसी भाग के लिए कानून बनाती है। वह विधेयकों पर विचार करके उन्हें पारित करती है।

2. कार्यपालिका पर नियंत्रण: संसद प्रश्नकाल, वाद-विवाद, वित्तीय नियंत्रण और अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से कार्यपालिका को उत्तरदायी बनाती है।

3. वित्तीय कार्य: संसद कराधान, बजट और सरकारी धन के उपयोग पर नियंत्रण रखती है। सरकार को धन खर्च के लिए संसदीय स्वीकृति प्राप्त करनी होती है।

Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan®
LET'S LEARN TOGETHER

4. प्रतिनिधित्व: संसद देश के विभिन्न क्षेत्रीय, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक समूहों के विचारों तथा हितों का प्रतिनिधित्व करती है।

5. वाद-विवाद का मंच: संसद राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार-विमर्श और खुली बहस का महत्त्वपूर्ण लोकतांत्रिक मंच है।

Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan®
LET'S LEARN TOGETHER

6. संवैधानिक कार्य: संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। संविधान संशोधन के लिए दोनों सदनों से विशेष बहुमत द्वारा स्वीकृति आवश्यक होती है।

7. निर्वाचन संबंधी कार्य: संसद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित संवैधानिक प्रक्रियाओं में भाग लेती है।

Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan®
LET'S LEARN TOGETHER

8. न्यायिक कार्य: राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने से संबंधित प्रस्तावों पर विचार करना संसद के न्यायिक कार्यों में शामिल है।

निष्कर्ष: संसद के ये कार्य उसे लोकतांत्रिक शासन की महत्वपूर्ण और उत्तरदायी संस्था बनाते हैं।

Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan®
LET'S LEARN TOGETHER

25. लोकसभा और राज्यसभा के गठन, कार्यकाल तथा विशेष शक्तियों में अंतर स्पष्ट कीजिए।

उत्तर —

भूमिका: भारतीय संसद द्विसदनीय है। इसके दो सदन लोकसभा और राज्यसभा हैं। दोनों सदनों के गठन, कार्यकाल तथा कुछ विशेष शक्तियों में अंतर है।

Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER

आधार	लोकसभा	राज्यसभा
प्रतिनिधित्व	जनता का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व करती है।	राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है।
निर्वाचन	जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव होता है।	निर्वाचित सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं।
कार्यकाल	सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष है।	सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है।
सदन की स्थिति	निर्धारित परिस्थितियों में भंग की जा सकती है।	स्थायी सदन है, पूरी तरह भंग नहीं होती।
सदस्यों का अवकाश	लोकसभा का सामान्य कार्यकाल एक साथ समाप्त होता है।	प्रत्येक दो वर्ष बाद एक-तिहाई सदस्य कार्यकाल पूरा करते हैं।

Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER

आधार	लोकसभा	राज्यसभा
धन विधेयक	धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत होता है।	धन विधेयक पर सुझाव दे सकती है, अधिकतम 14 दिन रोक सकती है।
सरकार पर नियंत्रण	अविश्वास प्रस्ताव द्वारा सरकार को हटा सकती है।	सरकार की आलोचना कर सकती है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव द्वारा नहीं हटा सकती।
सदन की स्थिति	निर्धारित परिस्थितियों में भंग की जा सकती है।	स्थायी सदन है, पूरी तरह भंग नहीं होती।
विशेष शक्ति	वित्तीय मामलों तथा मंत्रिपरिषद् के सामूहिक उत्तरदायित्व में प्रधानता रखती है।	राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषयों पर संसद को कानून बनाने का अधिकार प्रदान कर सकती है।
धन विधेयक	धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत होता है।	धन विधेयक पर सुझाव दे सकती है, अधिकतम 14 दिन रोक सकती है।

Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan®
LET'S LEARN TOGETHER

26. संसद में विधेयक के कानून बनने की प्रक्रिया का क्रमबद्ध वर्णन कीजिए।

उत्तर —

भूमिका: किसी प्रस्तावित कानून के प्रारूप को विधेयक कहा जाता है। विधेयक को कानून बनने के लिए निश्चित संसदीय प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है।

Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan®
LET'S LEARN TOGETHER

विधेयक से कानून बनने की प्रक्रिया

1. नीति निर्धारण: सबसे पहले संबंधित विषय पर कानून बनाने की आवश्यकता और उसके उद्देश्य पर विचार किया जाता है।

2. विधेयक का प्रारूप: संबंधित मंत्रालय द्वारा विधेयक का प्रारूप तैयार किया जाता है। सरकारी विधेयक प्रायः मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है।

Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan®
LET'S LEARN TOGETHER

3. संसद में प्रस्तुति: सामान्य विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, जबकि धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है।

4. संसदीय समिति: विधेयक को विस्तृत अध्ययन के लिए संसदीय समिति के पास भेजा जा सकता है। समिति अपनी सिफारिशें सदन को भेजती है।

Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER

5. विचार-विमर्श एवं मतदान: सदन में विधेयक के प्रावधानों पर चर्चा होती है और मतदान द्वारा उसे पारित किया जाता है।

6. दूसरे सदन में प्रस्तुति: सामान्य विधेयक पहले सदन से पारित होने के बाद दूसरे सदन में भेजा जाता है, जहाँ उसे आवश्यक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है।

Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan®
LET'S LEARN TOGETHER

7. मतभेद का समाधान: सामान्य विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद होने पर संयुक्त अधिवेशन द्वारा समाधान करने का प्रयास किया जा सकता है।

8. राष्ट्रपति की स्वीकृति: संसद की आवश्यक स्वीकृति मिलने के बाद विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति से वह कानून बन जाता है।

Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan®
LET'S LEARN TOGETHER

विशेष तथ्य: धन विधेयक पर राज्यसभा की भूमिका सीमित होती है और वह इसे अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है।

निष्कर्ष: कानून निर्माण एक संसदीय प्रक्रिया है, जिसमें विधेयक पर चर्चा, परीक्षण, मतदान और आवश्यक स्वीकृति शामिल होती है।